



पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय/PONDICHERY UNIVERSITY

(मानविकी विद्यापीठ/SCHOOL OF HUMANITIES)

हिन्दी विभाग/DEPARTMENT OF HINDI

डॉ. सी. जय शंकर बाबु / Dr. C. Jaya Sankar Babu

रजत जयंती परिसर/SILVER JUBILEE CAMPUS

अध्यक्ष (प्रभारी)/ Head (i/c)

आर.वी.नगर/R.V.NAGAR, कालापेट /KALAPET

दूर.भा. / Tel.(कार्या/Off)0413-2654776

पुदुच्चेरी / PUDUCHERRY – 605 014.

संदर्भ सं./Ref. No.PU/DH/हिं.शि.यो. ऑनलाइन पाठ्यक्रम/2017-18/287

Date: 12.12.2017

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : हिंदी शिक्षण योजना के तहत ऑनलाइन पर लीला प्रबोध, लीला प्रवीण, लीला प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिंदी भाषा शिक्षण ।

Sub: Hindi Language Teaching through online mode Leela Prabodh, Leela Praveen and Leela Pragya Courses – Reg.

भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत केंद्र सरकारी मंत्रालय, विभागों, संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, संस्थानों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार हिंदी कार्यसाधक ज्ञान हासिल करने हेतु नियमित, पत्राचार तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन हिंदी शिक्षण योजना के तहत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। सभी सरकारी कर्मचारियों को समयबद्ध योजनानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

हिंदी भाषा शिक्षण संबंधी ऑनलाइन पाठ्यक्रम लीला प्रबोध, लीला प्रवीण और लीला प्राज्ञ नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। इनमें शामिल होकर अंग्रेज़ी, असमिया, बोड़ो, बंगला, गुजराती, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में किसी भी या किन्हीं भी माध्यमों से हिंदी सीख सकते हैं। हिंदी शिक्षण योजना के तहत इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ हर वर्ष मई और नवंबर में संपन्न होती हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारी सरकारी आदेशों के अनुसार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत नकद पुरस्कारों के लिए भी पात्र हैं, जिनकी जानकारी आगे दी जा रही है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए वेब लिंक –

<https://lilappp.rb-aai.in/?#!>

In accordance with the Official Language Policy of Government of India the training of Hindi Language under the Hindi Teaching Hindi Language was mandated for all employees of Central Government, Ministries, Departments, Attached and Subordinate Offices, Institutions etc. As laid down in the Official Language Rules, 1976 in order to acquire working knowledge of Hindi Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language is conducting training courses under Hindi Teaching Scheme through Regular, Distance and Online mode. All employees are encouraged to learn Hindi in phased manner under the scheme.

Online Courses Leela Prabodh, Leela Praveen and Leela Pragya are available at the following web link for learning Hindi language. Joining in these courses one can learn Hindi through any/different language medium such as in English, Assamese, Bodo, Bengali, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Tamil and Telugu languages. Under the Hindi Teaching Scheme, the examinations of these courses are held every year during May and November. According to orders issued by the Dept. of Official Language time to time, those who qualify cash prizes are also given under various incentive schemes, detailed information of which is furnished hereunder.

Web link for joining Online Courses:

<https://lilappp.rb-aai.in/?#!>

प्रोत्साहन योजनाएं

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार आदि)

1. वैयक्तिक वेतन- हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) प्रबोध परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

[का0ज्ञा0 सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.) दिनांक 2.9.1976—पैरा 1(3)]

(ख) प्रवीण परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं012014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976—पैरा 1(2)]

(ग) प्राज्ञ परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है। जिनके लिए यह पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्ण कर लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं0- 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976—पैरा 1(1)]

तथा का0ज्ञा0सं0- 12014/1/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 14.2.1979]

(घ) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक, अनुवादक, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा प्रवर लेखा परीक्षक, जिनके लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है पर उपयोगी है, को अवर श्रेणी लिपिकों की भांति ही उक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएँ इस संबंध में जारी की गई विभिन्न शर्तों के अधीन दी जाती हैं।

[(का0ज्ञा0सं0 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976—पैरा 1(4)]

तथा (का0ज्ञा0सं0-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)

(ङ) हिंदी आशुलिपि- (i) अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। (ii) राजपत्रित आशुलिपिकों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएंगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

[(का0ज्ञा0सं0-12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976—पैरा 1(5)(क) व (ख) तथा पैरा 2)]

टिप्पणी: जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/ प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

2 नकद पुरस्कार- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें

(1) प्रबोध

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1600/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	400/-

(2) प्रवीण

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	1800/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1200/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	600/-

(3) प्राज्ञ

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

(4) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

(5) हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/-

(6) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	1600/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	1500/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	2400/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा	1600/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	3000/-

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/10-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 29.7.2011)

टिप्पणी:

1. जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।
2. एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।
3. जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी

आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एक मुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

(का०ज्ञा०सं०- 21034/66/2010/रा०भा०(प्रशि०). दिनांक 29.07.2011)

Incentive Schemes

Personal pay, Cash Awards & Incentives for Central Government Employees on Passing the Examinations of Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme

1. Personal Pay- Personal pay equal to one increment for a period of 12 months is granted to the Central Govt. officers/employees on passing the Hindi language, Hindi typewriting and stenography examinations.

(a) Prabodh Examination- The personal pay shall be granted only to those non-gazetted Govt. employees for whom the Prabodh course has been prescribed as final course of study and who pass this examination with 55% or more marks (conditions applies):

[O.M. No. 12014/2/76-OL (D) Dated 02.09.1976—Para 1(3)]

(b) Praveen Examination- The personal pay shall be granted only to those officers/employees for whom the Praveen course has been prescribed as final course of study (conditions applies):

(i) To the Non-gazetted employees on passing the Praveen examination with 55% or more marks.

(ii) To the gazetted officers on passing the Praveen examination with 60% or more marks.

[O.M. No. 12014/2/76-O.L (D), Dated 2.9.76—Para 1(2)]

(c) Pragya Examination- The personal pay shall be granted only to those officers/employees for whom the Pragya course has been prescribed as final course of study (conditions applies):

(i) To the non-gazetted employees on obtaining passing marks in the Pragya examination.

(ii) To the gazetted officers on passing the Pragya Examination with 60% or more marks.

[O.M. No. 12014/2/76-O.L (D), Dated 2.9.76—Para 1(2)]

and O.M. No. 12014/1/78-O.L (D), Dated 14.2.79]

(d) Hindi Word Processing/Hindi typing- Personal pay equal to the amount of one increment for a period of 12 months is granted to non-gazetted employees of the Central Govt. on passing the Hindi Word Processing/Hindi typing examination. Besides this, under the various conditions issued in this regard, the above financial incentives and other benefits given to LDCs will also be admissible to the employees working on the posts such as Assistants, Translators, UDCs and Selection Grade Auditors, for whom training in Hindi typing is not compulsory, but useful.

O.M. No. 12014/2/76-O.L (D), Dated 2.9.76—Para 1(4)]

and and O.M. No. 12016/2/78-O.L. (D) dated January 10, 1979 Sr. No.-92)

(e) Hindi Stenography- (1) Personal pay equal to the amount of one increment for a period of 12 months is granted to the non-gazetted Hindi speaking stenographers on passing the Hindi stenography examination and that increment is absorbed in future increments.
2. Personal pay is granted to gazetted stenographers on passing the Hindi stenography examination with 90% or more marks. The stenographers (gazetted & non-gazetted both) whose mother tongue is not Hindi are granted personal pay, equal to amount of two increments on passing the Hindi stenography examination. These increments will be

absorbed in future increments of the employees concerned, who will get personal pay equal to the amount of two increments in first year and after absorption of one increment in the second year.

[[O.M. No. 12014/2/76-O.L (D), Dated 2.9.76—Para 1(5)(a)(b) and Para-2]

Note: An employee who has been exempted from in-service Hindi training will not get personal pay on passing the concerned examination.

2. Cash Awards- The following cash awards are granted according to eligibility for securing good marks in Hindi Prabodh, Praveen, Pragya, Hindi Word Processing/Hindi typing and Hindi stenography examination, for which present rates are as under:

(1) Prabodh

1.	On securing 70% or more marks	1600/-
2.	On securing 60% or more but less than 70% marks	800/-
3.	On securing 55% or more but less than 60% marks	400/-

(2) Praveen

1.	On securing 70% or more marks	1800/-
2.	On securing 60% or more but less than 70% marks	1200/-
3.	On securing 55% or more but less than 60% marks	600/-

(3) Pragya

1.	On securing 70% or more marks	2400/-
2.	On securing 60% or more but less than 70% marks	1600/-
3.	On securing 55% or more but less than 70% marks	800/-

(4) Hindi Word Processing/ Hindi Typing

1.	On securing 97% or more marks	2400/-
2.	On securing 95% or more marks but less than 97% marks	1600/-
3.	On securing 90% or more marks but less than 95% marks	800/-

(5) Hindi Stenography

1.	On securing 95% or more marks	2400/-
2.	On securing 92% or more marks but less than 95% marks	1600/-
3.	On securing 88% or more marks but less than 92% marks	800/-

(6) Lump-sum award on passing the examination of Hindi Teaching Scheme through personal efforts.

1.	Prabodh examination	1600/-
2.	Praveen examination	1500/-
3.	Pragya examination	2400/-

4.	Hindi typing examination	1600/-
5.	Hindi stenography examination.	3000/-

(O.M. NO.21034/66/2010-O.L.(Trg) dated 29 July 2011)

Note:

1. An employee who has been exempted from in-service Hindi training will not get cash and lump sum award on passing the concerned examination.
2. In addition to the operational staff, Lump sum award will also be given to those employees only who are posted at such places where no training centre of Hindi Teaching Scheme is in existence or where there is no arrangement of training for relevant courses are available.
3. In addition to the lump sum award, cash award will also be granted to those employees who passes Hindi language, Hindi word processing/Hindi typing and Hindi stenography examination of H.T.S. through their own efforts even if they obtain 05% less marks then the prescribed marks for granting cash award.

((O.M. NO.21034/66/2010-O.L.(Trg) dated 29.07.2011)

विश्वविद्यालय के सभी स्टॉफ सदस्यों से अनुरोध है कि इन सुविधाओं का लाभ उठाएँ। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जनवरी, 2018 सत्र के लिए तुरंत पंजीकरण कर सकते हैं तथा संबंधित परीक्षा (मई, 2018 में आयोजित होनेवाली) आवेदनपत्र भरकर दि.20 जनवरी, 2018 या उससे पहले हिंदी अनुभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं।

All the staff members of the University are hereby requested to utilize these facilities. Those who register for the online courses from January, 2018 session with immediate effect may fill the form for Examination (to be held during May, 2018) and submit in the Hindi Cell on or before 20th January, 2018.



[सी. जय शंकर बाबु /C. JAYA SANKAR BABU]
अध्यक्ष (प्रभारी)/ Head (i/c)

सेवा में /To,
सभी स्टॉफ सदस्य (शिक्षण एवं गैर-शिक्षण)
All the Staff Members (Teaching and Non-Teaching)

प्रतिलिपि /Copy to:

1. The Asst. Registrar, V.C's Secretariat, Pondicherry University. ----- for kind information of the Honorable Vice-Chancellor
2. The Asst. Registrar, V.C's Secretariat, Pondicherry University. ----- for kind information of the Registrar
3. The Deputy Registrar [Admn.], Pondicherry University. ----- for necessary action
4. Systems Manager & Head, Computer Centre ----- with a request for uploading in the University Website